



विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर-302001 दूरभाष नं. 0141-2373904 ई-मेल-scr-rj@nic.in

दिनांक 23/11/24

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1999 के अनुसरण में आयोजित कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) संयुक्त प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा वर्ष-2018 में से चयनित अभ्यर्थियों में श्री हनुमान प्रसाद मीना पुत्र ग्यारसी लाल मीना, रोल नम्बर-1523777 एवं मेरिट क्रमांक 16743 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/फा/संस्था/1/1/12/भूप्रआ/2020/3002-3242 दिनांक 24.06.2020 द्वारा कम संख्या-1 लगायत 22 में वर्णित शर्तों के अधीन कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अस्थाई (Provisional) आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी।

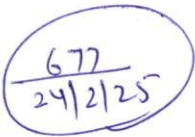
श्री हनुमान प्रसाद मीना, प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक के कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा में कार्यरत रहने के दौरान पटवार भर्ती परीक्षा-2021 में अनियमितता में संलिप्त पाये जाने पर इनके विरुद्ध थानाधिकारी, थाना आर.के. पुरम कोटा शहर के यहां एस.आर. मुकदमा संख्या 348/2021 अन्तर्गत धारा 419, 467, 468, 471 भा.द.स. व धारा 3, 6 राज. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम-1992 दिनांक 23.10.2021 दर्ज किया जाकर इन्हें दिनांक 24.10.2021 को गिरफ्तार किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10884-10901 दिनांक 27.10.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा के यहां किया गया।

तत्पश्चात् अन्य भर्ती परीक्षा में श्री हनुमान प्रसाद मीना, निलम्बित प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक, कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा के विरुद्ध दर्ज मुकदमा नंबर 10/2024 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 477, 477ए, 408, 201, 109, 34, 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता व धारा-4(ए), 5(ए) एवं 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 व 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पुलिस थाना एस.ओ.जी. जयपुर द्वारा कार्मिक के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 23.06.2024 को गिरफ्तार किया गया।

श्री हनुमान प्रसाद मीना के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में उपरोक्त शर्तों पर नियुक्त जांच अधिकारी, भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.06.2024 अनुसार श्री मीना, निलो कनिष्ठ सहायक दिनांक 23.06.2024 से आदिनांक 27.06.2024 तक निम्नलिखित पंक्ति पर स्थित चल रहे हैं साथ ही उपरोक्त परिस्थितियों में श्री हनुमान प्रसाद मीना के निर्माण कार्य दिनांक 24.06.2020 में वर्णित शर्त संख्या 01, 08 एवं 12 के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति दी गई है।

Digitally signed by ARUN GARG
Reason: Approved

Signature Not Verified
Digitally signed by ARUN GARG
Commissioner
Date: 2025.01.22 11:40:42 IST
Reason: Approved



इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री हनुमान प्रसाद मीना, निल० प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध परीवीक्षा अवधि में ही दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। ये राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में धांधली एवं अनियमितता बरतने में संलिप्त रहे हैं। कार्मिक के उक्त कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है।

अतः प्रकरण में प्राप्त जांच रिपोर्ट के विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन एवं मनन के उपरान्त कार्मिक का कार्य एवं आचरण परीवीक्षाकाल में सन्तोषप्रद न पाये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/फा/संस्था/1/1/12/भूप्रआ/2020/3002-3242 दिनांक 24.06.2020 के क्रम संख्या 88 पर अंकित अभ्यर्थी श्री हनुमान प्रसाद मीना पुत्र ग्यारसी लाल मीना रोल नम्बर-1523777 एवं मेरिट क्रमांक 16743 के पक्ष में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त किया जाकर इन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक (Remove from service) किया जाता है। श्री मीना, निलम्बित प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक को निलम्बन काल में देय निर्वाह भत्ते के अलावा अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे एवं निलम्बन अवधि सेवा में शुमार नहीं होगी।

(डॉ० अरुण गर्ग)
भू-प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर/अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा/भीलवाडा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधान अधिकारी, एसओजी राजस्थान जयपुर।
6. थानाधिकारी, थाना आर.के. पुरम कोटा शहर, कोटा।
7. कोषाधिकारी, भीलवाडा द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा।
8. प्रोग्रामर, आई.टी. शाखा, मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराने की कार्यवाही करावे।
9. संस्थापन शाखा-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सामान्य, गोपनीय, लेखा, न्याय शाखा मुख्यालय।
10. नि.प. श्री हनुमान प्रसाद मीना, निल० प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा।
11. श्री हनुमान प्रसाद मीना पुत्र ग्यारसी लाल मीना निवासी गांव बिलोता, हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने थाना अलीगढ तह. उनियारा जिला-टोंक।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by ARUN GARG
Designation : Settlement Officer
Commissioner
Date: 2025.01.22 17:10:42 IST
Reason: Approved